# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0252 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/09/2026 19:46 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/09/2026 **Date To (दिनांक तक):** 03/09/2026

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 21:10 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/09/2026 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/09/2026 19:46:52 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 140 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** 22, VINAK NAGAR,MAKADWALI ROAD, AJMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ANSHUL SHRIWASTAV

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LATE.HARINARAYAN SHRIWASTAV

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | FLAT NO.202, MANGALAM RESIDENCY,KOTARA, AJMER, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | 176, GOLDEN HOME COMPLELX KE PASS SANGANER P.O.GAJTPURA, BRAJVIHAR, SANGANER SADAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIPRAKASH CHARAN | | पिता:HANUMAN SINGH CHARAN | 1. GRAM POST TEHALA VAYA PADUKALA,THANWALA,NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 3,00,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 3,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

हालात एफआईआर इस प्रकार से है कि“ दिनांक 02.09.2026 को अति0 पुलिस अधीक्षक स्पेशल इन्वेस्टिंगेशन विंग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री अंशुल श्रीवास्तव से परिवादी के रूप में एवं श्री योबी जॉर्ज का सह परिवादी के रूप में परिचय करवाते हुए, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव व सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी, एसआईडब्ल्यू, जयपुर को संम्बोधित किया गया है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है एवं इस पर मेरे हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि “ मैं अंशुल श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री हरिनारायण श्रीवास्तव उम्र 34 वर्ष निवासी मं.नं. 176 बृज विहार, गोल्डन होम काम्पलेक्स के पास सांगानेर पी.ओ. जगतपुरा जिला जयपुर राज. मो.नं. हाल निवासी फ्लेट नम्बर नं. 202 मंगलम रेजिडेंसी, कोटडा अजमेर का रहने वाला हॅू। मेरा न्यू आदर्श शिक्षा समिति के नाम से N.G.O. है जो 02 पुनर्वास गृह (महिला) का संचालन अजमेर जिला मुख्यालय पर करता है। इसी प्रकार मेरे साथी योबी जार्ज पुत्र स्व. श्री पी.वाई जॉर्ज उम्र 49 साल निवासी प्लॉट नम्बर 10 नसीराबाद रोड दादाभाई कॉलोनी, अजमेर का अपना थियेटर संस्थान नाम से N.G.O. है जो स्वयंसिद्धा व मुख्यमंत्री पुर्नवास गृह संस्था का संचालन करते हैं। हम दोनों के उक्त संस्थानों को राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अनुदान दिया जाता है। कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर के संयुक्त निदेशक श्री जयप्रकाश चारण हमारी संस्थाओं के विभिन्न कार्य जैसे संस्थान का चयन, नवीनीकरण, अनुबंध पत्र जारी करना एवं बिलों के भुगतान में अडचन डालते हुए उक्त कार्यों की ऐवज में रिश्वत मांगी जा रही है। अभी चार पांच दिन पहले जब हम इनसे मिले तो उन्होने अनुबंध पत्र व बिलों के भुगतान से मना कर दिया तथा वो हम दोनों से 250000-250000 (ढाई लाख-ढाई लाख ) कुल पांच लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं तथा पूर्व में हमारी संस्थाओं को किये गये भुगतान राशि का भी कमीशन की मांग कर रहे हैं। हम उनको रिश्वत नहीं देना चाहते और उन्हे पैसे लेते हुए रंगें हाथों पकडवाना चाहते है। हमारी श्री जयप्रकाश चारण संयुक्त निदेशक से कोई पुरानी रंजिश नहीं है ना ही उनसे कोई रूपये पैसे का लेन देन बकाया है। कृपया कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करें।“ ”परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री संदीप कुमार कानि नं. 93 तथा श्री भूपेन्द्र कुमार कानि नं. 442 कार्यालय उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रनिब्यूरो जयपुर को तलब कर परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव व सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज से उनका आपस में परिचय करवाया जाकर आपस में मोबाईल नं0 आदान प्रदान करवाये गये। तत्पश्चात कार्यालय हाजा की आलमारी से सोनी कम्पनी का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व एक नया मेमोरी कार्ड CONSISTENT MICRO SD 32 GB निकलवाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई। परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव को संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बंध में परिवादी व संदिग्ध की आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री भूपेन्द्र कुमार नं. 442 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब रिश्वत मांग के सम्बंध में संदिग्ध आरोपी के पास वार्ता करने जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर में उक्त मैमोरी कार्ड डालकर रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द करें तथा परिवादी व संदिग्ध के मध्य होने वाली वार्ता के दौरान यथासम्भव निकटतम दूरी रखकर गोपनीय रूप से उनके मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें एवं उन पर नजर रखें। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव, सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज तथा श्री संदीप कुमार कानि नं. 93 व श्री भूपेन्द्र कुमार कानि नं. 442 को आवशयक हिदायत कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु कार्यालय से रवाना किया गया। समय 9.20 पी.एम. पर श्री भूपेन्द्र कुमार कानि नं. 442 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये फोन बताया कि मैं और श्री संदीप कुमार कानि परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव व सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज के साथ कार्यालय से रवाना होकर संदिग्ध आरोपी के निवास स्थान से कुछ दूर पहले पहुंचे, जहां पर मैनें परिवादी को

आरोपी के पास जाने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास रवाना किया तथा मैं और श्री संदीप कुमार कानि अपनी मौजूदगी छिपाते हुए संदिग्ध आरोपी के मकान के पास मुकीम हुए। परिवादी वाईस रिकॉर्डर लेकर आरोपी के निवास पर गया व कुछ देर बाद वापिस हमारे पास आया एवं रिकॉर्डर मुझे दे दिया, जिसको मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से मोबाईल पर वार्ता करने पर परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव ने श्री भूपेन्द्र कुमार कानि द्वारा बताई बातों की ताईद करते हुए बताया कि मैं और मेरा साथी योबी जॉर्ज डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर आरोपी के निवास पर गये तो वहां आरोपी श्री जयप्रकाश चारण संयुक्त निदेशक उपस्थित मिला जिनसे मेरे काम के सम्बंध में वार्ता की तो उन्होंने मेरी व मेरे साथी योबी जॉर्ज की संस्थान से सम्बंधित पैण्डिंग बिल पास करने की ऐवज मेरे से 3,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करते हुए सहमत हुआ। मैने उक्त वार्ता डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रिकॉर्डर श्री भूपेन्द्र कानि को दे दिया है। परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी मेरे से कल रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है। अभी रात्रि का वक्त हो गया है मैं अभी जयपुर नहीं आ सकता हूँ जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 03.09.2026 को अजमेर में उपस्थित मिलने तथा गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई तथा श्री भूपेन्द्र कुमार व श्री संदीप कुमार कानि को कल दिनांक 03.09.2026 को प्रातः कार्यालय में उपस्थित आने व अन्य आवश्यक हिदायत की गई। उसक बाद दिनांक 03.09.2026 समय 10.00 ए.एम. पर श्री भूपेन्द्र कुमार कानि नं. 442 ने कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्रस्तुत कर पूर्व में बताये गये रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों को दौहराया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग एवं सहमति जाहिर किया जाना पाया गया। परिवादी अभी कार्यालय में मौजूद नहीं है। परिवादी की उपस्थिति में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट आईन्दा तैयार की जायेगी। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी को जरिये फोन रिश्वत राशि की व्यवस्था कर अजमेर किशनगढ हाईवे पर अजमेर से कुछ दूरी पहले मिलने हेतु निर्देशित किया गया। गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह लाकर पेश करने हेतु श्री लक्ष्मीनारायण कानि को हिदायत की गई जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री अजय कुमार मीणा हाल परियोजना अभियंता कनिष्ठ तथा श्री रमेन्द्र सिंह माल हाल परियोजना अभियंता कनिष्ठ उपस्थित कार्यालय आये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीय कार्यवाही बाबत अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया जाकर गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही जाने पर दोनो स्वतन्त्र गवाह द्वारा अपनी-अपनी सहमति दी गई। प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर गवाहान को मुनासिब हिदायत की गई। उसके बाद कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री गिरधारी लाल कानि नं. 298 से मंगवाई जाकर सरकारी वाहन टेम्पो ट्रेवलर के डेशबोर्ड में रखवाया गया तथा अन्य स्टाफ से ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर व अन्य आवश्यक सामग्री सरकारी वाहन बोलेरों में रखवाये गये। मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री झाबरमल यादव अति. पुलिस अधीक्षक श्री राधेश्याम उप निरीक्षक, श्री अनिल कुमावत सउनि, श्री विक्रम सिंह हैड कानि नं. 63, श्री भूपेन्द्र कुमार कानि नं. 442, श्री संदीप कुमार कानि नं. 93, श्री मनोज कुमार कानि नं. 65, श्री गिरधारी लाल कानि नं. 298 व श्री मूलचन्द कानि नं. 297, श्रीमती जयश्री राजावत कानि नं. 198, श्री उदयपाल सिंह कानि नं. 550 मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री अजय कुमार मीणा व श्री रमेन्द्र सिंह माल, मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही के लिए समय 3.00 पी.एम. पर सरकारी वाहनों बजानिब दक्षिण पश्चिम दिशा के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी को अजमेर से कुछ दुरी पहले किशनगढ अजमेर हाईवे पर मिलने हेतु हिदायत की गई। उसके बाद समय 5.30 पी. एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री झाबरमल यादव अति.पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामग्री के किशनगढ अजमेर हाईवे पर अजमेर से कुछ दूर पहले पहुंचा जहां पर पूर्व से पाबन्द परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव व सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज उपस्थित मिले जिनका परिचय स्वतंत्र गवाह श्री अजय कुमार मीणा व श्री रमेन्द्र सिंह माल से करवाया गया। परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव व सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज ने श्री भूपेन्द्र कुमार कानि नं. 442 द्वारा बताई गई बातों की ताईद करते हुए मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि दिनांक 02.09.2026 को श्री भूपेन्द्र कुमार कानि ने डिजिटल वॉइस रिकार्डर चालू कर मुझे सपुर्द किया था। उसके बाद मैं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर संदिग्ध आरोपी के निवास पर उसके पास गया, जहां पर संदिग्ध आरोपी से मेरी रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता हुई तो संदिग्ध आरोपी ने मेरी व मेरे साथी सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज की संस्थाओं के पैण्डिंग बिलों के भुगतान व अन्य कार्य जैसे संस्थान का चयन, नवीनीकरण, अनुबंध पत्र जारी करना का वैध कार्य करने की ऐवज में 3,00,000/-रूपये रिश्वत राशि मांग कर लेने पर सहमत हुआ है। संदिग्ध आरोपी के साथ हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड की थी। परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी द्वारा उससे आज ही रिश्वत राशि लिये जाने की संभावना है, मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव को संदिग्ध आरोपी श्री जयप्रकाश चारण, संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर राज. को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव ने अपने पास से

500-500 रूपये के छः सो प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 3,00,000/-रूपये (अक्षरे तीन लाख रूपये) निकाल कर, गवाहान के समक्ष पेश किये। परिवादी द्वारा पेश किये गये उक्त नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी व सुपूर्दगी नोट में अंकित करवाये गये। उसके बाद परिवादी द्वारा पेश किये गये सभी 500-500 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 3,00,000 /-रू.(तीन लाख रूपये) पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री गिरधारी कानि नं. 298 से सरकारी वाहन टेम्पो ट्रेवलर के डेशबोर्ड में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव की जामा तलाशी एवं उसके पास काले रंग के पीठ बैग की तलाशी गवाह श्री अजय कुमार मीणा से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 3,00,000/-रूपये के नोट दैनिक भास्कर अजमेर संस्करण अखबार दिनांक 31.08.2026 में लपेट कर एक थैली सफेद रंग की जिस पर अंग्रेजी में Shree JODHPUR Sweets LODHA DHARMASHALA P.R. MARG AJMER लिखा हुआ है, में रखवाकर थैली सीधे ही श्री गिरधारी लाल कानि नं. 298 से परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव के काले रंग के पीठू बैग में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छूवे व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट बैग में से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवें। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री गिरधारी लाल कानि नं. 298 जिसनें नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी /हल्का गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस श्री गिरधारी लाल कानि को दी जाकर गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त गिलास व अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री गिरधारी लाल कानि के हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। परिवादी के अलावा गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री गिरधारी लाल कानि नं. 298 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी के साथ वहीं पर ही रहने की हिदायत कर किशनगढ अजमेर हाईवे पर छोडा गया। रिश्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री भूपेन्द्र कुमार कानि नं. 442 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट व सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की गई तथा सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज के मोबाईल फोन से आरोपी के मोबाईल नम्बर पर व्हाट्स अप कॉल करवाया गया तो आरोपी द्वारा परिवादी को स्वयं के निवास पर आने हेतु कहा गया। दोनो के बीच हुई वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया खाली मेमोरी कार्ड डालकर रिकॉर्ड की गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को बन्द कर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय 08.00 पी. एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, व ट्रेप पार्टी सदस्यों मय ट्रेप बॉक्स मय अन्य आवश्यक सामग्री के अजमेर किशनगढ हाईवे से आरोपी के निवास माकडवाली रोड अजमेर के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव व सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज को श्री भूपेन्द्र कुमार कानि नं 442 के साथ परिवादी के निजी वाहन से रवाना किया जाकर आरोपी के निवास से कुछ दूर पहले मिलने की हिदायत की गई। समय 08.55 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, व ट्रेप पार्टी सदस्यों मय ट्रेप बॉक्स मय अन्य आवश्यक सामग्री के आरोपी के निवास माकडवाली रोड अजमेर से कुछ पहले पहुंचे जहां पर परिवादी व सह परिवादी एवं श्री भूपेन्द्र कुमार कानि उपस्थित मिले। श्री भूपेन्द्र कुमार कानि नं. 442 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए। समय 08.58 पी.एम. पर श्री भूपेन्द्र कुमार कानि नं. 442 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मैनें डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव को देकर संदिग्ध आरोपी के पास जाने के लिए रवाना कर दिया है। मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी सदस्यों व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के ईशारे के इंतजार में आरोपी के निवास स्थान के आस पास अपनी मौजूदगी छिपाते हुए मुकीम हुए। परिवादी संदिग्ध आरोपी के निवास के अन्दर है, निर्धारित इशारे का

इंतजार है। उसके बाद समय 9.10 पी.एम. पर परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस को पूर्व निर्धारित ईशारा मोबाईल फोन पर मिस कॉल करने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान तथा जाप्ते को साथ लेकर परिवादी के मकान नम्बर 22 विनायक नगर, माकडवाली रोड अजमेर के अन्दर प्रथम मंजिल पर पहुंचा तथा मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर वापिस प्राप्त कर उसको बन्द कर सुरक्षित कब्जा लिया गया। जहां परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव व सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज उपस्थित थे तथा परिवादी ने अपने सामने बैड पर बैठे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये ही श्री जयप्रकाश चारण संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर हैं, जिन्होंने अभी-अभी मेरे से इनकी मांग के अनुसार 3,00,000/- रूपये (अक्षरे तीन लाख रूपये) रिश्वत राशि के प्राप्त किये हैं, इन्होंने मेरे से रिश्वत राशि हाथ में प्राप्त नहीं करके इनके सामने रखी हुई टेबल पर रखवाये हैं। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी को अपना परिचय देते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम श्री जयप्रकाश चारण पुत्र श्री हनुमान सिंह चारण जाति चारण उम्र 48 साल निवासी म.नं. 22 विनायक नगर, माकडवाली रोड अजमेर हाल संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा कि आपने अभी-अभी इनसे रूपये लिये हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि मैने इनसे कोई रूपये नहीं लिए हैं, ये दोनों तो मेरे से मिलने के लिए आये थे और मेरी टेबल पर इन्होनें ये थैली रख दी मैनें इनसे कोई रूपये नहीं मांगे हैं। जिस पर परिवादी ने बताया कि इसने अभी अभी मेरे से रिश्वत राशि के तीन लाख रूपये इनकी टेबल पर रखने के लिए ईशारा करने पर मैनें इनके सामने रखी टेबल पर ये पैसे रखे हैं। मैं व मेरा दोस्त योबी जॉर्ज एनजीओ चलाते हैं हम दोनों के उक्त संस्थानों को राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अनुदान दिया जाता है। हमारी संस्थाओं के विभिन्न कार्य जैसे संस्थान का चयन, नवीनीकरण, अनुबंध पत्र जारी करना एवं बिलों के भुगतान में अडचन डालते हुए उक्त कार्यों की ऐवज में आज इन्होनें मेरे से 3,00,000/- रूपये (अक्षरे तीन लाख रूपये) रिश्वत राशि ली है। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री रमेन्द्र सिंह माल से आरोपी श्री जयप्रकाश चारण के सामने सेन्टर टेबल पर रखी सफेद थैली में रखे हुए रूपयों को निकलवाकर गिनवाया गया तो उसने गिनकर 500-500 रूपये के 600 नोट, कुल 3,00,000/-रू0 (अक्षरे तीन लाख रूपये) होना पाये गये, दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त सभी नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर हूबहू उसी नम्बर के 3,00,000 /-रू0 (अक्षरे तीन लाख रूपये) के नोट होना पाये गये, जिनको स्वतंत्र गवाह श्री अजय कुमार मीणा के पास सुरक्षित रखवाये गये। उसके बाद एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री जयप्रकाश चारण संयुक्त निदेशक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया, जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव व सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद एक दूसरे साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में पुनः पूर्वानुसार पानी भरवाया गया एवं उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर घोल में श्री जयप्रकाश चारण के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया, जिसे उपस्थित दोनों गवाहान व परिवादी को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी के सामने रखी टेबल पर बिछे हुए कपडे के सफेद टेबल कवर का धौवन लिए जाने हेतु एक तीसरे साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को पुनः पूर्वानुसार साफ धुलवाकर पानी भरवाया गया एवं उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर घोल में टेबल पर बिछे हुए कवर को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित दोनों गवाहान व परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव व सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क T-1 व T-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा टेबल कवर को सुखाकर उस पर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी तथा सह परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त टेबल के कवर को सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क T अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री अजय कुमार मीणा के पास सुरक्षित रखी हुई बरामद शुदा रिश्वत राशि 3,00,000/-रू0 (अक्षरे तीन लाख रूपये) को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को सील मोहर कर मार्क C अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा जिस सफेद थैली व अखबार में रिश्वत राशि बरामद हुई थी उस थैली व अखबार पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क C-1 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 के प्रावधानों के तहत उक्त बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथों एवं टेबल के कवर धुलवाई की श्री मुकेश कुमार कानि नं. 100 से वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई।

उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी के निवास की खाना तलाश के लिए उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री जयप्रकाश चारण से परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव व सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज की संस्थानों के सम्बंधित बिलों के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि उक्त फाईल मेरे कार्यालय में है जिनको पृथक से प्राप्त किया जायेगा। इसके बाद परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई, जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जायेगी। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी, सह परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, हमराही जाप्ता, ट्रैपबाक्स, लैपटॉप प्रिन्टर व अन्य सामान एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री जयप्रकाश चारण संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर, राज. मय जब्तशुदा/सीलडशुदा शीशीयां, रिश्वती राशि व अन्य समस्त आर्टिकल्स के सरकारी वाहनों से आरोपी के निवास मकान नम्बर 22 विनायक नगर माकडवाली रोड, अजमेर से रवाना होकर एसीबी चौकी अजमेर पहुंचा। दिनांक 04.09.2026 को समय 3.00 ए.एम. बजे आरोपी श्री जयप्रकाश चारण पुत्र श्री हनुमान सिंह चारण, जाति चारण उम्र 48 साल, निवासी ग्राम पोस्ट टेहला वाया पादुकला पुलिस थाना थावला जिला नागौर हाल म.नं. 22 विनायक नगर, माकडवाली रोड अजमेर, हाल संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर, राज. के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को उसके द्वारा कारित अपराध एवं उसके सवैंधानिक अधिकारों से अवगत करवाते हुये विधान द्वारा प्रदत्त उसके संवैधानिक अधिकारो की पूर्ण पालना करते हुये हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। उसके बाद वक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त रिश्वत लेनदेन रिकॉर्ड की गई वार्ताओं का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाये जाने हेतु आरोपी को उसकी नमूना आवाज उपलब्ध करवाने हेतु नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी द्वारा नमूना आवाज नहीं देने बाबत लिखित में इंकार कर दिया गया। तत्पश्चात समय 9.00 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव व सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज मय दोनों स्वतंत्र गवाहान के घटना स्थल मकान नं0 22 विनायक विहार माकडवाली रोड अजमेर के लिए रवाना होकर समय समय 9.20 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं सह परिवादी के घटना स्थल मकान नं0 22 विनायक नगर माकडवाली रोड अजमेर पहुंचा। जहां परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव व सह परिवादी श्री योबी जॉर्ज की निशानदेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब किया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व परिवादी व सह परिवादी के एसीबी चौकी अजमेर के लिए रवाना होकर कार्यालय एसीबी चौकी अजमेर उपस्थित आया। उसके बाद दिनांक 02.09.2026 को परिवादी अंशुल श्रीवास्तव व श्री योबी जार्ज एवं संदिग्ध आरोपी श्री जयप्रकाश चारण के मध्य आमने-सामने हुई वार्ता जो परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव द्वारा कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा था। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लैपटॉप से जोडकर सुना गया व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को सुनाया गया उक्त वार्ता रूपान्तरण में परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव व श्री योबी जॉर्ज द्वारा स्वयं की व आरोपी श्री जयप्रकाश चारण की आवाज होना पहचान की गई। स्वतंत्र गवाहान व परिवादीयों ने उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप का सम्बंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया एवं वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त वार्ता के पेन ड्राईव तैयार करने हेतु तीन खाली पेन ड्राईव लिये जाकर तीन पेन ड्राईव को खाली होना सुनिश्चित किया गया तथा बारी-बारी लेपटॉप की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता के तीन अलग-अलग पेन ड्राईव मे कोपी किया जाकर सही होना सुनिश्चित कर पेन ड्राईव को उनके कवर मे रखकर क्रमश मार्क M-1,M-2व M-3 अंकित किया गया। पेन ड्राईव मार्क M-1 व M-2 को कवर सहित पृथक-पृथक सफेद कपडे़ की थैलियों में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैलियों पर मार्क M-1 व M-2 अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेन ड्राईव मार्क M-3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 02.09.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से हैशु वैल्यू निकाल कर मूल मेमोरी कार्ड को पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बी में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्डमोहर किया जाकर मार्क M दिया गया। तत्पचात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दौरान ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री जयप्रकाश चारण द्वारा परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव से रिश्वती राशि 3,00,000/-रू. (तीन लाख रूपये) लिये जाने व रिश्वत राशि आरोपी के निवास स्थान मकान नम्बर 22 विनायक नगर माकडवाली रोड अजमेर से रिश्वत राशि बरामद होनें पर आरोपी की हाथ धुलाई व टेबल के कवर की धुलाई तथा बरामदगी रिश्वती राशि कार्यवाही की धारा 105 बीएनएसएस के प्रावधानानुसार विडियोग्राफी की गई थी उक्त विडियोग्राफी के पेन ड्राईव तैयार करने के लिए दो नये पेन ड्राईव ENSTORE USB 2.0 64 जी.बी. लिये जाकर मूल मेमोरी कार्ड को लैपटॉप से जोडकर विडियोग्राफी की फाईल्स को दो पेन ड्राईव में कॉपी/ पेस्ट किया गया तथा पेन ड्राईव को मार्क V-1 तथा V-2 दिया जाकर मार्क V-1 को उसी के कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया गया तथा मार्क V-2 को

अनुसधान हेतु खुला रखा गया। मूल मेमोरी कार्ड DAICHI 32 जीबी को सफेद कागज में लपेटकर पारदर्शी प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क V दिया जाकर कपडे की थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उसके बाद स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 03.9.2026 को परिवादी श्री योबी जॉर्ज एवं संदिग्ध आरेापी श्री जयप्रकाश चारण के मध्य मोबाईल पर हुई व्हाटस अप कॉल वार्ता करवाई जाकर मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया था, उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा गया था उक्त वार्ता रूपान्तरण में परिवादी श्री योबी जॉर्ज द्वारा एक स्वयं की आवाज व अन्य आवाज आरोपी श्री जयप्रकाश चारण की होने की पहचान की गई। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी ने उक्त सभी वार्ता रूपान्तरण वार्तालाप का सम्बंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया एवं वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त वार्ता के पेन ड्राईव तैयार करने हेतु तीन खाली पेन ड्राईव लिये जाकर तीनो पेन ड्राईव SANDISK 64GB को खाली होना सुनिश्चित किया गया तथा बारी बारी से लैपटॉप की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता के तीन अलग अलग पेन ड्राइव SANDISK 64GB में कॉपी किया जाकर सही होना सुनिश्चित कर पेन ड्राईव को उनके कवर में रखकर कम्रशः मार्क N-1 N-2 व N-3 अंकित किया गया। पेन ड्राईव मार्क N-1, N-2 को कवर सहित पृथक -पृथक सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैलियों पर मार्क मार्क N-1,N-2 अंकित कर सील चीट चस्पा कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये तथा पेन ड्राईव मार्क मार्क N-3 को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड जिसमें वार्ता रिकॉर्ड है को निकालकर सफेद कागज में लपेटकर एक खाली प्लास्टिक की पारदर्शी डिब्बी में रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर मार्क मार्क N अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दिनांक 03.09.2026 को वक्त रिश्वत लेन-देन परिवादी अंशुल श्रीवास्तव व श्री योबी जार्ज एवं संदिग्ध आरोपी श्री जयप्रकाश चारण के मध्य आमने-सामने हुई वार्ता जो परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव द्वारा कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा था। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लैपटॉप से जोडकर सुना गया व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को सुनाया गया उक्त वार्ता रूपान्तरण में परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव व श्री योबी जॉर्ज द्वारा स्वयं की एवं आरोपी श्री जयप्रकाश चारण की आवाज होना पहचान की गई। स्वतंत्र गवाहान व परिवादीयों ने उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप का सम्बंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया एवं वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त वार्ता के पेन ड्राईव तैयार करने हेतु तीन खाली पेन ड्राईव लिये जाकर तीन पेन ड्राईव को खाली होना सुनिश्चित किया गया तथा बारी-बारी लेपटॉप की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता के तीन अलग-अलग पेन ड्राईव मे कॉपी किया जाकर सही होना सुनिश्चित कर पेन ड्राईव को उनके कवर मे रखकर क्रमशः मार्क D-1, D-2 व D-3 अंकित किया गया। पेन ड्राईव मार्क D-1 व D-2 को कवर सहित पृथक-पृथक सफेद कपडे़ की थैलियों में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैलियों पर मार्क D-1 व D-2 अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेन ड्राईव मार्क D-3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर का अवलोकन करने पर पाया गया कि तकनीकी कारणों से उक्त वार्ता मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड नहीं होकर मूल डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में ही रिकॉर्ड हुई है इसलिए मूल डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली में सील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर मार्क D अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। अब तक की सम्पूर्ण ट्रैप कार्यवाही से आरोपी श्री जयप्रकाश चारण पुत्र श्री हनुमान सिंह चारण, जाति चारण उम्र 48 साल, निवासी ग्राम पोस्ट टेहला वाया पादुकला पुलिस थाना थावला जिला नागौर हाल म.नं. 22 विनायक नगर, माकडवाली रोड अजमेर, हाल संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर, राज. ने लोकसेवक के पद पर रहते हुये, अपने पद का दुरूपयोग कर, भ्रष्ट तरीके से परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव की NGO न्यू आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित 02 पुनर्वास गृह (महिला) व सह परिवादी योबी जार्ज की NGO द्वारा संचालित पुनर्वास गृह स्वयंसिद्धा व मुख्यमंत्री पुर्नवास गृह संस्थाओं के विभिन्न कार्य जैसे संस्थान का चयन, नवीनीकरण, अनुबंध पत्र जारी करना एवं बिलों के भुगतान तथा उनकी संस्थाओं को पूर्व में किये गये भुगतान का कमीशन मांग कर पद का दुरूपयोग कर वैध कार्य में अडचन डालते हुए उक्त वैध कार्य करने की ऐवज में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.09.2026 के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना एवं मोलभाव करने के पश्चात 3,00,000/-रू.(तीन लाख रूपये) रिश्वत हेतु सहमति दिया जाने एवं उक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं सहमति के अनुसरण में दिनांक 03.09.2026 को परिवादी श्री अंशुल श्रीवास्तव से आरोपी श्री जयप्रकाश चारण द्वारा 3,00,000/-रू. रिश्वत राशि अपने निवास स्थान पर प्राप्त करते हुये पकडे़ जाने से आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री जयप्रकाश चारण पुत्र श्री हनुमान सिंह चारण, जाति चारण उम्र 48 साल, निवासी ग्राम पोस्ट टेहला वाया पादुकला पुलिस थाना थावला जिला नागौर हाल म.नं. 22 विनायक नगर, माकडवाली रोड अजमेर, हाल संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर, राज. के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना

रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा में प्रेषित है। (सुरेन्द्र पंचोली) उप अधीक्षक पुलिस, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर .....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र पंचोली, उप अधीक्षक पुलिस, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री जयप्रकाश चारण पुत्र श्री हनुमान सिंह चारण, जाति चारण उम्र 48 साल, निवासी ग्राम पोस्ट टेहला वाया पादुकला पुलिस थाना थावला जिला नागौर हाल म.नं. 22 विनायक नगर, माकडवाली रोड अजमेर, हाल संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 82 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1455-58 दिनांक 06.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर 2- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आयुक्तालय, जयपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** Sunil Sihag **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/09/2026 19:49:19

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** GORDHAN LAL SONKARIA

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1978 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)